



अनुपम कुमार बनाम् सरकार
फौज. निग. संख्या 14 / 2026
सी.आई.एस. नंबर 12 / 2026
आदेश दिनांक 09.06.2026

न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठूमर, जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — उदय सिंह अलोरिया, आर.जे.एस.
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}
फौज. निगरानी प्रकरण संख्या — 14 / 2026
सी.आई.एस. नंबर — 12 / 2026

1. अनुपम कुमार उम्र 44 साल पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरुका तहसील व थाना मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी प्लॉट संख्या 35 श्याम मार्ग धौलाई मानसरोवर जयपुर, राज.।
.....निगराकार/मुलजिम

विरुद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक कठूमर जिला अलवर।
2. महेन्द्रसिंह उम्र 33 साल पुत्र विजयसिंह निवासी करनपुरा तन तसई तहसील व थाना कठूमर, जिला अलवर, राज.।
.....गैर निगराकारान्

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर जिला
अलवर द्वारा मुत. फौज. प्रकरण संख्या
01/69/2026 उनवान— अनुपम कुमार बनाम्
महेन्द्रसिंह प्रार्थना पत्र धारा 70 (2) दं.प्र.सं. 1973
में पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 के विरुद्ध
निगरानी

उपस्थिति—

विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्मानंद दीक्षित निगराकार की ओर से।
विद्वान अपर लोक अभियोजक कठूमर गैर—निगराकार संख्या 1 की ओर से।
विद्वान अधिवक्ता श्री रूपकिशोर शर्मा गैर—निगराकार संख्या 2 की ओर से।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 09.06.2026

- 1— इस आदेश के द्वारा निगराकार अनुपम कुमार जिसे आगे मुलजिम कहा जाएगा, की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है।
- 2— गैर निगरानीकार संख्या 2 महेन्द्रसिंह जिसे आगे परिवादी कहा जाएगा, द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर जिला अलवर के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 में परिवाद प्रकरण संख्या 22/18/2024, उनवान— “महेन्द्रसिंह बनाम् अनुपम कुमार” मुलजिम अनुपम कुमार के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर के समक्ष प्रस्तुत



किया गया था। जिसमें दिनांक 20.04.2024 को मुलजिम अनुपम कुमार के विरुद्ध धारा 138 सपठित धारा 142 एन.आई. एक्ट 1881 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम को जरिए समन तलब किया गया। अभियुक्त पर समन की तामील होने के पश्चात् दिनांक 21.09.2023 को उसे जमानती वारंट 1,000/—रूपये से तलब किया गया। मुलजिम के विरुद्ध जारी जमानती वारंट 1,000/—रूपये पर आई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.12.2024 को अभियुक्त को जरिए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया। दिनांक 30.08.2025 को तामील कुंनिदा लक्ष्मीकांत कानि. 647 की साक्ष्य एवं रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अनुपम कुमार को मफरूर घोषित कर उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

3— अभियुक्त अनुपम कुमार द्वारा दिनांक 01.05.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 70(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 व धारा 72(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पेश किया गया, जो न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा बहस सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 07.05.2026 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर निगराकार/मुलजिम अनुपम कुमार द्वारा यह निगरानी याचिका न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गयी है।

4— निगराकार/मुलजिम अनुपम कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 70(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 व धारा 72(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनुवान का मुकदमा न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2025 को प्रार्थी/मुलजिम को फरार घोषित कर उक्त मुकदमा का दिनांक 06.09.2025 को निर्णीत कर प्रार्थी/मुलजिम को स्थाई वारंट से तलब किया है। पत्रावली फैसल हो चुकी है। उक्त मुकदमा अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट अदालत में विचाराधीन था जिसमें प्रार्थी/मुलजिम के विरुद्ध अदालत द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है तथा उक्त मुकदमा में अदालत द्वारा प्रार्थी/मुलजिम को सम्मन से तलब किया गया था। प्रार्थी राजकीय कर्मचारी है तथा अध्यापक के पद पर जयपुर में पदासीन है तथा जयपुर में ही निवास करता है। प्रार्थी को प्रकरण के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई और ना ही कोई सम्मन प्राप्त हुआ। जिस कारण प्रार्थी/मुलजिम अदालत में उपस्थित नहीं आया। जिसमे



सम्मन के बाद जमानती वारण्ट व जमानती वारंट के बाद गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये व उसके बाद मुकदमा में प्रार्थी/मुलजिम को फरार घोषित कर मुकदमा का निस्तारण करते हुये प्रार्थी/मुलजिम के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर भगोडा घोषित कर दिया। प्रार्थी/मुलजिम शिक्षित तथा कानून की इज्जत करने वाला व्यक्ति है। प्रकरण सम्मन मामला व जमानती अपराध है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/मुलजिम को स्थाई वारण्ट से तलब व भगोडा घोषित किया है। प्रार्थी/मुलजिम ने जानबूझ कर हाजिर अदालत आने में किसी तरह की गलती या लापरवाही नहीं की है बल्कि अदालत के सम्मन व वारण्ट की जानकारी नहीं होने की वजह से प्रार्थी/मुलजिम हाजिर अदालत नहीं आया। प्रार्थी/मुलजिम मुकदमा में हाजिर होकर अपनी जमानत कराना चाहता है इस वजह से पत्रावली में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट को जमानती वारंट में तब्दील किया जाना न्यायहित में जरूरी है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तब्दील किये जाने का निवेदन किया गया।

5— निगरानी याचिका पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी।

6— दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार/मुलजिम द्वारा याचिका के तथ्यों का दोहराव करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी निगराकार की बिना व्यक्तिगत तामील हुये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी /निगराकार की तामील होना न्यायालय अधीनस्थ द्वारा पाया जाने का आदेश गैरकानूनी है, क्योंकि प्रार्थी/निगराकार पर किसी भी प्रकार से सम्मन की कोई तामील की सूचना नहीं थी और ना ही तामील प्राप्त हुई है और ना ही प्रार्थी/निगराकार को सम्मन की प्रति दी गई है तथा ना ही सम्मन के साथ किसी न्यायालय की परिवाद की कोई प्रति दी गई जिससे प्रार्थी/निगराकार नियत दिनांक व सक्षम न्यायालय में जानकारी कर उपस्थित हो सका। दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय अधीनस्थ द्वारा जिस तामील के आधार पर अभियुक्त को जमानती वारंट की पालना की अवधारणा ली गई है वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व विधि विरुद्ध प्रक्रिया के विपरीत केवल धारण की गई है, जबकि व्हाट्सप कॉल पर यदि तामील कुनिन्दा द्वारा उसके मोबाइल नम्बर पर जमानती



वारंट व परिवाद की प्रति भेजी जाती तो भी यह संभावना हो सकती थी कि प्रार्थी/निगराकार को अपने खिलाफ किये गये मुकदमें व सक्षम न्यायालय व तारीख पेशी पर उपस्थित होना संभव हो सकता था जिस तथ्य का दिनांक 18.12.2024 की आदेशिका में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। प्रार्थी/निगराकार सरकारी अध्यापक के पद पर जयपुर स्थित सरकारी विद्यालय में पद स्थापित है जिसमें प्रार्थी/निगराकार को सही पते पर न्यायालय अधीनस्थ द्वारा दौरान ट्रॉयल सम्मन, जमानती वारंट, स्थाई वारंट कभी भी तामील हेतु नहीं भेजे गये हैं, जिस कारण प्रार्थी/निगराकार को अपने उक्त मुकदमें की जानकारी नहीं हो पाने के कारण प्रार्थी/निगराकार की विधिवत तामील की अवधारणा लिया जाना गैरकानूनी है। अतः निगरानी निगराकार पेश कर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.12.2024 एवं दिनांक 30.08.2025 तथा आदेश दिनांक 07.05.2026 जिसके द्वारा प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 70(2) जाब्ता फौजदारी व धारा 72 (2) बी एन एस एस 2023 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है उक्त आदेशिका व आदेश बउनवान “महेन्द्रसिंह बनाम अनुपम कुमार” परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट को निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर को प्रार्थी/अभियुक्त/निगराकार को उक्त मुकदमें में जर्गे सम्मन तलब फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया – 2010(2) Cr.L.R. (Raj.) 1342 Justine boniface Vs State of Raj. & Ors.

7— विद्वान अपर लोक अभियोजक गैर निगराकार संख्या 1 ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर द्वारा पारित आलौच्य आदेश को विधिसंगत होना बताते हुए निगराकार की ओर प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

8— विद्वान अधिवक्ता परिवादी/गैरनिगराकार संख्या 2 ने दौराने बहस तर्क दिया है कि निगराकार/मुलजिम पर समन, जमानती वारंट की विधिवत रूप से तामील करवाई गई है। मुलजिम को प्रकरण की पूर्ण रूप से जानकारी थी। वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा प्रार्थना पत्र 70(2) जाब्ता फौजदारी के संबंध में दिनांक 07.05.2026



को पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। समर्थन में निम्न दस्तावेज न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ जिला अलवर के प्रकरण संख्या 602/2023, “राजेन्द्र सैनी बनाम् अनुपम” दिनांक 16.09.2025 की प्रति पेश की।

9— मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के तर्कों का मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10— इस न्यायालय को उक्त निगरानी के निस्तारणार्थ हेतु सर्वप्रथम यह देखना है कि **“आलोच्य आदेश विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप पारित किया गया है अथवा नहीं ?”**

11— निगराकार/मुलजिम द्वारा अपनी निगरानी याचिका में मुख्य रूप से तर्क दिया है कि निगराकार/मुलजिम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 सपटित धारा 142 एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया है। निगराकार/मुलजिम पर समन व जमानती वारंट की पालना विधिवत रूप से नहीं करवाई गई है। उसे व्यक्तिशः रूप से तामील प्राप्त नहीं हुई हैं, ना ही उसे परिवाद की प्रति दी गई है। जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विधि विरुद्ध है। निगराकार/मुलजिम को मफरूर घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तब्दील किये जाने का निवेदन किया गया है।

12— इसके विपरीत गैरनिगरानीकारान् ने न्यायालय कार्यवाही को विधिसम्मत होना बताया है।

13— पत्रावली का अवलोकन करने पर अभियुक्त अनुपम कुमार के विरुद्ध दिनांक 20.04.2024 को धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर उसे जरिए समन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 21.09.2024 के अनुसार अभियुक्त पर जारी समन की तामील उसके भाई विमल कुमार को सूचित कर चस्पा की गई है। इस पर न्यायालय द्वारा समन को तामील मानकर जमानती वारंट से तलब किया गया है। आदेशिका दिनांक 12.11.2024 के अनुसार तामील कुनिंदा अभियुक्त के घर पर पहुँचा, जहाँ एक महिला मिली जो गेट के अन्दर थी। अभियुक्त से व्हाटसअप कॉल पर पूछा तो अभियुक्त ने तारीख पेशी पर



उपस्थित होने बाबत बताया। परन्तु जमानती वारंट के साथ कोई मुचलका नहीं भरा गया है और ना ही किसी के हस्ताक्षर कराए गए हैं। उक्त तामील को पर्याप्त नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा पुनः जमानती वारंट जारी किया गया। पुनः इसी तरह की रिपोर्ट की गई कि अभियुक्त के मकान के अन्दर एक महिला थी, जिसने कुंदी नहीं खोली। अभियुक्त से व्हाट्सअप कॉल की गई तो उसने तामील लेने से मना कर दिया। जिसे न्यायालय द्वारा उचित तामील माना गया। परन्तु उसके साथ किसी प्रकार का मुचलका नहीं भरा गया।

14— उक्त दोनों तामीलों की रिपोर्ट देखने पर तामील कुनिंदा द्वारा मोबाईल नंबर 9529939607 से सम्पर्क करना बताया गया है। परन्तु यह नंबर अभियुक्त का हो, यह स्पष्ट नहीं है। कानूनन जमानती वारंट पर मुचलका नहीं भरने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है। परन्तु इस प्रकरण में केवल फोन से बात करना बताया गया है, कोई मुचलका नहीं भराया गया है। अभियुक्त के अनुसार वह राजकीय कर्मी होकर अध्यापक है जो जयपुर में रहता है। परन्तु सभी तामीलें उसके मूल निवास अलवर पर जारी हुईं। उसके जयपुर के पते पर कोई भी तामील जारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी वारंट पर भी इसी आशय की रिपोर्ट की गई है कि अभियुक्त के माता पिता ने घर में नहीं जाने दिया तथा अनुपम को किसी अन्य रास्त से भगा दिया। अनुपम के माता पिता व अन्य परिजन उक्त गिरफ्तार वारंट की पालना नहीं करने दिये तथा वर्तमान में अनुपम अपने घर से रूहपोश है। घर पर नहीं आ रहा है, जो कहां रहता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। गिरफ्तारी वारंट के भय से अज्ञात जगह जाकर कहीं छिप गया है। जिसकी निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। जबकि अभियुक्त राजकीय अध्यापक होना बताया है।

15— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है, जो जमानती प्रकृति का अपराध है। निगराकार/मुलजिम राजकीय कर्मचारी है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहता है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे सुनवाई के अवसर से वंचित करना। न्यायालय का विनम्र यह मत है कि अभियुक्त राजकीय अध्यापक होने से अपने



पदस्थापन स्थल पर मौजूद होगा, ना कि अपने मूल स्थान पर। जमानती वारंट की तामील पर अभियुक्त का कोई मुचलाका नहीं भरा गया है। जिस महिला द्वारा तामील लेने से इन्कार किया गया है, उससे अभियुक्त का क्या संबंध था, यह भी स्पष्ट नहीं कराया गया है। चूँकि जमानती वारंट के साथ अभियुक्त की उपस्थिति बाबत मुचलका नहीं भरा गया है, ऐसे में उसे पर्याप्त तामील नहीं माना जा सकता। ऐसे में उक्त जमानती वारंट के पश्चात् की गई कार्यवाही गिरफ्तारी वारंट एवं मफरूरी की कार्यवाही विधि अनुसार न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

16— उपरोक्त विवेचना उपरान्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा दिनांक 07.05.2026 को पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है। निगराकार/अभियुक्त अनुपम कुमार प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 अपास्त किया जाकर अभियुक्त के विरुद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट वापस लिया जाकर उसके स्थान पर 10,000/— का जमानती वारंट जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

17— फलस्वरूप निगराकार/अभियुक्त अनुपम कुमार प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2026 अपास्त किया जाकर अभियुक्त के विरुद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट वापस लिया जाकर उसके स्थान पर 10,000/— का जमानती वारंट जारी कर तलब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की एक प्रति पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(उदय सिंह अलोरिया)

18— आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उदय सिंह अलोरिया)